

28/10
2024

2020
00118

परावली प्रशासन गाँव के सगे अधिवक्ता 2021 के तहत गा.प. वस्ती पर आयोजित शिविर में निस्कारण हेतु लायी गई। हमने परावली का अवलोकन किया। पार्श्वगण ग्राम वस्ती प.सं. वस्ती स्थित अपनी खातेदारी आराजी संख्या 346 रकबा 0.6400, 354 रकबा 0.2000, 355 रकबा 0.2000, 356 रकबा 0.1300, 357 रकबा 0.8100, 358 रकबा 0.2000 की कुल रकबा 2.1800 है। भूमि की पत्थरगटी कराना चाहते हैं। परावली में लालन ग्राम वस्ती की नकल जमाबन्दी सन्वत् 2069 - 2072 अनुसार उक्त आराजीयात पार्श्वगण के नाम खातेदारी हक से दर्ज रेकर्ड है। इतना पार्श्वगण का पार्श्वना पर अर्जित धारा 128 CRAB एन स्वीकार किया जाकर ग्राम वस्ती स्थित पार्श्वगण की खातेदारी आराजी संख्या 346, 354, 355, 356, 357, 358 की कुल रकबा 2.1800 है। भूमि की बिना किसी के कब्जे में दरपलन्दाजी किए सेटलमेन्ट नम्बरो अनुसार पत्थरगटी किए जाने के आदेश दिए जाते हैं। कमिश्नर शुल्क 1500.00 रुपये अक्षरे एक हजार पाँच सौ रुपये पार्श्वगण वहन करेंगे। पालनाथ तहसीलदार वस्ती को लिखा जावे कि पहकारान को लिखित सूचना देना नियमानुसार पत्थरगटी की जावे एवं पालना शिपो न्यायालय में प्रस्तुत करें। परावली कोषाल सुमार होकर नम्बर से कम है।



(श्याम सुन्दर विश्वाइ)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)